सम्पत्ति का निस्तारण

Prepared By-

Gaurav Rana (Computer Teacher)

Police Training College

Moradabad

Presented By-

S K Khare (PO)

Police Training School

Moradabad

सम्पत्ति का निस्तारण

पुलिस रेग्यूलेशन के अध्याय 14 में सम्पत्ति की अभिरक्षा एवं उसके निस्तारण के संबंध में वर्णित किया गया हैः–

पु0रे0 165ः– सभी चल सम्पत्ति, जिसे पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया है उसकी सूची तैयार की जायेगी तथा सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को प्रेषित की जायेगी।

पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 25, 26, 27 व दण्ड प्रक्रिया संहिता के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत कब्जे में ली गई सम्पत्ति के संबंध में वर्णित किया गया हैं।

द0प्र0सं0 की धारा 451 से 459 तक सम्पत्ति के निस्तारण के संबंध में निम्न प्रावधान है–

धारा 451:— जब सम्पत्ति जॉच या विचारण के समय दण्ड न्यायालय के समझ पेश की जाती है तब न्यायालय सम्पत्ति के संबंध में आदेश देगा।

धारा 452:— जब दण्ड न्यायालय में जॉच या विचारण समाप्त हो जाता है तब न्यायालय उसके समझ पेश की गई वस्तु के बारे में आदेश दे सकेगा।

धारा 453:— न्यायालय अभियुक्त के पास से मिली चुराई गई सम्पत्ति या धन मिलने पर व दोषसिद्ध होने पर स्वामी एवं क्रेता के आवेदन पर सम्पत्ति/धन वापिस किये जाने का आदेश दे सकेगा।

धारा 455:— भा0द0सं0 की धारा 292,, 293, 501, 502 के आधीन दोषसिद्ध होने पर न्यायालय ऐसी साम्रगी को नष्ट करने का आदेश दे सकेगा।

धारा 456:— जब अपराधिक बल, बल प्रदर्शन या अन्य ऐसे अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध किया जाता है, जिसने किसी स्थान पर जबरन कब्जा किया है तब वह कब्जा सम्बन्धित को लौटाया जा सकता है।

प्रतिबन्धः— दोषसिद्ध आदेश के एक मास के पश्चात बेदखली आदेश नही दिया जायेगा।

धारा 457:— जब किसी सम्पत्ति के कब्जे में लेने की सूचना मजिस्ट्रेट को दी जाती है, जिसे जॉच या विचारण में प्रस्तुत नहीं किया जाना है तब मजिस्ट्रेट सम्पत्ति पर दावा करने वाले के संबंध में आदेश दे सकता है।

धारा 458:— यदि सम्पत्ति के संबंध में छः मास तक कोई दावेदार उपस्थित नही होता अथवा दावा साबित नही कर पाता तब मजिस्ट्रेट ऐसी सम्पत्ति को विक्रय का आदेश दे सकता है।

धारा 459:— यदि सम्पत्ति का कब्जा पाने का हकदार व्यक्ति अज्ञात अथवा अनुपस्थित है और सम्पत्ति शीध्र खराब हाने वाली है तब सम्पत्ति के स्वामी के लाभ के लिए मजिस्ट्रेट विक्रय का आदेश ले सकता है।

पुलिस एक्ट 1861 के अन्तर्गत सम्पत्ति का निस्तारण

पुलिस एक्ट के अन्तर्गत जिले के मजिस्ट्रेट से तात्पर्य उस अधिकारी से है, जिस पर कार्यपालिका प्रशासन का भार है और मजिस्ट्रेट की शक्तियॉ प्रयोग करता है।

धारा 25:— प्रत्येक पुलिस अधिकारी समस्त बिना दावे वाली सम्पत्ति को भारसाधन में लेकर सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

धारा 26:— जिले का मजिस्ट्रेट सम्पत्ति को निरूद्ध कर सकेगा तथा उद्घोषणा निकाल सकेगा कि उक्त सम्पत्ति पर दावा रखने वाला उद्घोषणा की तिथि से छः मास के अन्दर अपना अधिकार प्रस्तुत करें।

धारा 27:— यदि सम्पत्ति पर कोई दावेदार नही होता है तब मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन सम्पत्ति बेच दी जायेगी।

<u>पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा 168ए के अनुसार माल निस्तारण</u>

पुलिस द्वारा बरामद किये गये अवैध आग्नेयास्त्रों और शस्त्र, जो न्यायालय के निर्णय के बाद नष्ट किये जाने है वह एक कमेटी के सदस्यों की मौजूदगी में नष्ट किये जायेगे। कमेटी में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित अधीक्षक स्तर का पुलिस अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित सम्मानित व्यक्ति, जो राज्य सेवक न हो, सदस्य होगें।

<u>सम्पत्ति निस्तारण के संबंध में विधिक अभिमतः–</u>

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुन्दर भाई अम्बा लाल देसाई बनाम गुजरात राज्य ए0आई0आर0 2003 पृष्ठ 638 में माल मुकद्माती के संबंध में निर्देश दिये गये हैः–

1– जॉच या विचारण के लम्बित रहते सम्पत्ति की उचित अभिरक्षा के संबंध में।

2– सम्पत्ति साक्ष्य अभिलिखित करने के बाद बिक्री या निस्तारण के संबंध में

3– क्षयशील (शीध्र नष्ट) प्रकृति की सम्पत्ति के निस्तारण के संबंध में:–

<u>सम्पत्ति के निस्तारण से निम्न उद्देश्यों की पूर्ति होगी:–</u>

1– माल मुकद्माती के निष्प्रयोग पड़े रहने से सम्पत्ति के स्वामी को क्षति नही होगी।

2– न्यायालय या पुलिस को माल मुकद्माती को अपनी सुरक्षा में रखने की आवश्यकता नही होगी।

3– यदि सम्पत्ति वापस करने से पूर्व विधिवत् पंचनामा तैयार कर लिया जाये तब न्यायालय में सम्पत्ति के स्थान पर पंचनामा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

पैरोकार के कर्तव्य

थाने से जिस पुलिस अधिकारी द्वारा अभियोगों की पैरवी की जाती है उसे पैरोकार कहते हैं।

पैरवी रजिस्टरः– न्यायालय में विचाराधीन वादों की प्रगति के संबंध में पैरवी रजिस्टर पूलिस प्रपत्र 175 रखा जाता हैः–

[illegible] पुलिस फार्म [illegible] 175

पैरवी का रजिस्टर

[illegible]	अपराध संख्या	धारा	अपराधी का नाम	जमानत पर या जेल में	न्यायालय में अभियोग पत्र भेजने की तिथि	सुनवाई की अन्तिम तिथि	स्थगित होने की तिथि

[illegible]	ए० पी० पी० का नाम	न्यायालय का नाम	जाँच करने वाले पदाधिकारी का नाम	पैरोकार का नाम	बुलाये जाने वाले साक्षियों की संख्या	आने वाले साक्षियों की संख्या	परीक्षित साक्षियों की संख्या	अगली तिथि जो नियुक्त हुई

अभियोगों की पैरवी करते समय थाना पैरोकार के प्रमुख कर्तव्यः—

❖पैरोकार को पैरवी रजिस्टर नियमित रूप से तैयार करना चाहिए एवं सभी विवरण पुलिस कर्मियों का नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित करना चाहिए।

❖सभी प्राप्त सम्मनों को तामील हेतु थाने में प्राप्त कराने चाहिए तथा नियत तिथि से पूर्व तामील/अद्म तामील वापस लेने चाहिए।

❖माल मुकद्माती थाने पर लम्बित होने पर न्यायालय में समय से प्रस्तुत करना चाहिए यदि मालखाना प्रभारी अवकाश पर जा रहा हो तब थानाध्यक्ष से आदेश कराकर उक्त अवधि के माल मुकद्माती प्राप्त करने चाहिए।

❖थाने के रिकार्ड जी0डी0, एन0सी0आर0 जिल्द की यदि आवश्यकता हो तो समय से रिकार्ड रूम से प्राप्त करना चाहिए।

❖वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण की उपस्थिति हेतु सम्मन की तामील प्रभावी रूप से कराने के लिए थानाध्यक्ष को अवगत कराना चाहिए।

❖पैरोकार को समय से न्यायालय में उपस्थित होना चाहिए तथा न्यायालयों में लम्बित अभियोगों में साक्ष्यों की उपस्थिति के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट अभियोजक को प्रस्तुत करनी चाहिए।

❖न्यायालय के आदेश पर आहूत की गई रिपोर्ट एवं जमानत आख्याओं पर सुस्पष्ट रिपोर्ट अभियोजक को प्रस्तुत करनी चाहिए।

❖न्यायालय से स्वीकृत जमानत एवं निर्णीत वाद एवं आत्मसमर्पण करने वाले अभियुक्तों की सूचना प्रतिदिन कोर्ट माहर्रिर से प्राप्त कर थानाध्यक्ष को अवगत कराना चाहिए।

❖अभियोजक द्वारा गवाहो की सुरक्षा एवं अन्य परिस्थितियों के संबंध में रिपोर्ट, जो थानाध्यक्ष को प्रेषित की जाती है उसे थानाध्यक्ष के समझ रखकर आदेश प्राप्त कराना चाहिए।

❖पैरोकार न्यायालय द्वारा मॉगी गई समान्य एवं विशेष सूचना को समय से न्यायालय में उपलब्ध करायेगा एवं न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को भी थानाध्यक्ष को अवलोकित कराकर अनुपालन सुनिश्चित करायेगा।

❖न्यायालय द्वारा आहूत किये गये अभिलेख (केस डायरी, जी0डी0, असंज्ञेय रिपोर्ट की जिल्द, माल मुकद्माती) को समय से सही स्थिति में प्रस्तुत करेगा।

❖न्यायालय से निर्णीत वादों से सम्बन्धित माल मुकद्माती थाना एवं सदर मालखाना पर लम्बित होने की दशा में अभियोजक के माध्यम से निस्तारण कराने में सहयोग प्रदान करेगा।

❖पैरोकार को जनरल रूल (क्रिमीनल) अनुसूची ए के अनुसार न्यायालय में वर्दी में उपस्थित होना चाहिए।

❖पैरोकार थाना अभियोजन एवं न्यायालय के लिए महत्वपूर्ण कड़ी है तथा अभियोगों को सफल (दण्डित) बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है।

धन्यवाद